

गोल्डन लंगूर

असम के ग्रामीण लोग एक 'गोल्डन लंगूर आवास' के लिये अभयारण्य के टैग का वसिध कर रहे हैं।



वविाद:

- असम वन वविाग ने 19.85 वर्ग किलोमीटर के जंगल को 'ककोइजना बामुनी हलि वन्यजीव अभयारण्य' में परिवर्तित करने हेतु एक प्रारंभिक अधिसूचना जारी की थी।
 - काकोइजना रजिस्टर फॉरेस्ट' गोल्डन लंगूर के लिये काफी प्रसिध है।
- ग्रामीणों ने मांग की है कि 'वन्यजीव अभयारण्य के पारंपरिक वचिर' को छोड़ दिया जाए और वन अधिकार अधिनियम, 2006 का उपयोग कर आरक्षित वन को एक सामुदायिक वन संसाधन में परिवर्तित कर दिया जाए, ताकि स्थायी संरक्षण के लिये भागीदारी की सामुदायिक सह-प्रबंधित प्रणाली सुनिश्चित की जा सके।
 - ग्रामीणों ने बताया कि स्थानीय लोगों के संरक्षण प्रयासों ने संबंधित अधिकारियों को लगभग तीन दशकों में वन की कैनोपी को 5% से 70% तक ले जाने और 'गोल्डन स्वर्ण लंगूर' की आबादी को 100 से 600 तक बढ़ाने में मदद की है।

वन्यजीव अभयारण्य, आरक्षित वन और सामुदायिक वन संसाधन में अंतर:

- **वन्यजीव अभयारण्य:** यह वह स्थान है जो विशेष रूप से वन्यजीवों के उपयोग के लिये आरक्षित होता है, जिसमें जानवर, सरीसृप, कीड़े, पक्षी आदि मौजूद होते हैं। इसका उद्देश्य वन्यजीवों को एक ऐसा स्थान प्रदान करना है, जहाँ वे जीवन भर अपनी आबादी को व्यवहार्य बनाए रखें।
 - वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 केंद्र और राज्य सरकारों को किसी भी क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने का अधिकार देता है।
- **आरक्षित वन:** आरक्षित वन सबसे अधिक प्रतबंधित वन हैं और किसी भी वन भूमि या बंजर भूमि पर जो कि सरकार की संपत्ति है, राज्य सरकार द्वारा गठित किये जाते हैं। आरक्षित वनों में किसी वन अधिकारी की विशेष अनुमति के बिना स्थानीय लोगों की आवाजाही नषिध होती है।
- **सामुदायिक वन संसाधन:** वन अधिकार अधिनियम की धारा 2 (a) के अनुसार, यह गाँव की पारंपरिक या प्रथागत सीमाओं के भीतर प्रचलित सामान्य वन भूमि में मौजूद संसाधन हैं जहाँ वन और संरक्षित क्षेत्र जैसे- अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान तक समुदायों की पारंपरिक पहुँच थी।

गोल्डन लंगूर के बारे में:

- वैज्ञानिक नाम: ट्रेचिपथिकस गी (Trachypithecus geei)

- गोल्डन लंगूरों को उनके फर के रंग के आधार पर पहचाना जा सकता है, जिसके बाद उनका नाम रखा जाता है।
 - यह देखा गया है कि उनके फर मौसम के साथ-साथ भूगोलिक स्थिति (वे जसि क्षेत्र में रहते हैं) के अनुसार रंग बदलते हैं।
 - युवास्था में उनका रंग भी वयस्कों से भिन्न होता है क्योंकि वे लगभग शुद्ध सफेद होते हैं।
 - वे जंगलों में अपर कैनोपी (upper canopy) वाले पेड़ों पर अत्यधिक निर्भर होते हैं। इन्हें **लीफ मंकी** के नाम से भी जाना जाता है।
- **पर्यावास:** यह पश्चिमी असम और भारत-भूटान की सीमा से सटे इलाकों में पाया जाता है।
 - उनका आवास चार भौगोलिक स्थलों से घरे क्षेत्र तक ही सीमति है: **भूटान (उत्तर), मानस नदी (पूरव), संकोश नदी (पश्चमि), और बरहमपुत्र नदी (दकषणि)** की तलहटी।
- **खतरा:**
 - **प्रतर्बिधति आवास:** जैसा कि ऊपर उल्लेख कयिा गया है, उनके आवास प्राकृतिक सीमाओं द्वारा प्रतर्बिधति हैं और वे वल्लिप्त होने के खतरे की ओर बढ रहे हैं।
 - **पर्यावास वखिंडन:** वशिष रूप से ग्रामीण वदियुतीकरण और बड़े पैमाने पर वनों की कटाई पर के बाद असम में उनका आवास काफी हद तक खंडति हो गया है।
 - **इनब्रीडगि:** पेड़ों की कटाई के कारण घने जंगलों की कमी जैसे अवरोधों ने गोल्डन लंगूरों में इनब्रीडगि के खतरे को बढा दयिा है।
- **संरक्षण के पर्यास:**
 - केंद्रीय चड्डियिाघर प्राधकिरण, नई दल्लिी ने 2011 में असम में स्वर्ण लंगूर के संरक्षण, प्रजनन के लयिे राज्य के चड्डियिाघर को एक परयिोजना सौपी।
 - वर्ष 2009 में असम में इनकी अनुमानति संख्या 5,140 थी। कोवडि-19 लॉकडाउन के कारण 2020 में जनगणना पूरी नहीं हो सकी।
- **संरक्षण स्थति:**
 - **वनयजीव संरक्षण अधनियिम (1972)** के अंतरगत अनुसूची I की प्रजाति।
 - **वनयजीवों तथा वनसपतयिों के अंतरराष्ट्रीय वयापार पर अभसिमय (CITES)** के परशिषिट I में सूचीबद्ध।
 - **IUCN** की रेड लसिट में इस प्रजातको संकटापन्न (Endangered) की श्रेणी में रखा गया है।

स्रोत: द हद्वि

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/golden-langur-1>

